केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा

DEPARTMENTAL EXAMINATION OF INSPECTORS OF CENTRAL EXCISE

प्रश्न पत्र – प्रथम (PAPER - I)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पुस्तक रहित) – CENTRAL EXCISE (Without Books)

दिनांक : 18.06.2013 (**DATE: 18.06.2013**)
समय : 10.00 पू. से 1.00 अ. (**Time: 10.00 AM TO 1.00 PM**)

पूर्णांक : 100 (**MAXIMUM MARKS : 100**)
उत्तीर्णांक : 50 (**PASS MARKS : 50**)
PASS MARKS : 50

टिप्पणी :

1. पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. परीक्षार्थी हिंदी में उत्तर दे सकते हैं।
4. सभी उत्तरों के साथ सुसंगत प्राधिकार का उल्लेख करें।

Note :

1. Answer five questions.
2. All questions carry equal marks.
3. Candidates have options to answer in Hindi.
4. Relevant authority must be quoted with all answers.

प्रश्न 1. किन्हीं पॉच को परिभाषित कीजिए :

(क) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944**

1. अपीलीय न्याधिकरण
2. दलाल या प्राधिकार अभिकर्ता
3. निधि
4. क्रय और विक्रय

(ख) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002**

1. अधिसूचना
2. बड़े कर प्रदाता
3. भंडार गृह/माल गोदाम

(ग) **सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004**

1. करमुक्त वस्तुए
2. अखिरी उत्पाद
3. जॉब वर्क

Q. 1. Define any five of the following terms.

a. Central Excise Act- 1944

1. Appellate Tribunal
2. Broker or Commission Agent
3. Fund
4. Sale and Purchase

b. Central Excise Rules, 2002

1. Notification
2. Large tax payer
3. Warehouse

c. Cenvat Credit Rules, 2004

1. Exempted Goods
2. Final Products
3. Job Work

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से किन्हीं चार के कानूनी प्रावधान का विवरण दें :–

1. न्यायाधिकरण के समक्ष अपील
2. कारण बताओं नोटिस
3. उत्पादक के कारखाने के बाहर इनपुट का भंडारण
4. शुल्क में छूट(रिबेट)
5. बांड पर निर्यात
6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूलने के लिये उत्पादित वस्तुओं का मूल्यांकन
7. कारखाने में वापस आये वस्तुओं का क्रेडिट
8. तलाशी एवं अभिग्रहण का अधिकार

Q. 2. Briefly explain the legal provisions about any four of the following :

1. Appeal before the Tribunal
2. Show Cause Notice
3. Storage of Inputs outside the factory of Manufacturer
4. Rebate of duty
5. Export under bond
6. Valuation of Excise Goods for purpose of charging of Central Excise Duty
7. Credit of Duty on Goods brought to the factory.
8. Power of Search and Seizure

प्रश्न 3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अर्न्तगत केन्द्रिय शुल्क धन वापसी के क्या प्रावधान है। धन वापसी के आवेदन की समय सीमा क्या है और कौन इसे प्रस्तुत कर सकता है। कृपया **अनजस्ट एनरिचमेंट** की व्याख्या करें।

Q. 3. What are the provisions under Central Excise Act 1944 for Refund of Central Excise Duty? What is the time limit for filling the Refund application and who can file a Refund Claim? Please explain the term '**unjust enrichment**.'

प्रश्न 4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के अनुसार छोटे स्तर की इकाइयों का मापदंड क्या है ? क्या यह कारखाने में किये गये निवेश पर आधारित है या विक्रय की राशि पर आधारित है ? छोटे स्तर की इकाइयों पर शुल्क छूट के लिये कौन पात्र है और बिक्री मूल्य की सीमा तक। क्या यह इकाइयां दूसरो के ब्रान्ड की वस्तुये उत्पादित करने पर भी इस कर छूट की पात्र है ?

Q. 4. What is an SSI unit under Central Excise Rules? Is it based on investment in plant & machinery or based on value of sales? Who is eligible for SSI exemption and for what value of clearances? Whether small scale industries (SSI) unit manufacturing goods having other brand name shall able to avail the SSI benefit/exemption.

प्रश्न 5. (क) सेनवेट क्रेडिट की वापसी किन परिस्थितियों में अनुमन्य है ?

(ख) उन विनिर्याताओं के लिये जो ऐसे इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट लेते है जो कर योग्य एवं कर मुक्त वस्तुओं दोनों में प्रयोग होता है, क्या औपचारिकताए करनी होगी ?

(ग) ऐसे कौन से अभिलेख है जिनके आधार पर उत्पादक, सेनवेट क्रेडिट ले सकता है ?

Q. 5. (a) What are the Circumstances under which the refund of Cenvat Credit is permissible?

(b) What are the obligations of manufacturers who is availing CENVAT Credit on the inputs Commonly used in the manufacture of dutiable as well as exempted goods ?

(c) What are the documents on the basis of which the Cenvat credit can be taken by the manufacturer ?

प्रश्न 6. (क) उन प्रावधानों को स्पष्ट करें, जिसके अर्न्तगत अस्थाई (प्रोविजनल एसेसमेन्ट) निर्धारण किया जाता है?

(ख) अस्थाई निर्धारण की निर्धारित प्रक्रियाओं का विवरण दें?

(ग) अस्थाई निर्धारण को अंतिम रूप दिये जाने के लिये क्या कोई समय सीमा निर्धारित है या उपयुक्त कारणों से इसे बढ़ाया जा सकता है ? समक्ष अधिकारी का पद नाम बतायें।

Q. 6. **(a)** Explain the provision under which provisional assessment can be allowed?

(b) What procedure is required to be followed for the provisional assessment?

(c) Whether there is any time restriction for finalization of provisional assessment and if there is sufficient cause whether this period can be extended. Name the Authority competent to extend this period.

प्रश्न 7. (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4 के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति (रिलेटेड परसन) कौन है?

(ख) धारा 4 के अनुसार ट्रांजेक्शन मूल्य (ट्रांजेक्शन वैल्यू) क्या है?

Q.7. (a) Who is a related person as per section-4 of Central Excise Act, 1944?

(b) What is transaction value as per Section -4 of Central Excise Act,1994?

प्रश्न 8. **(अ)** कृपया बताये कि निम्नलिखित **सही है** या **गलत**ः

(1) कारण बताओं नोटिस जारी करने की समय सीमा उचित तिथि से 6 माह की है।
(2) सहायक आयुक्त 15 लाख रूपये तक की कारण बताओं नोटिस दे सकता है।
(3) अपर आयुक्त, सहायक आयुक्त द्वारा पारित मूव आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है।
(4) शुल्क में छूट के संबंध में आयुक्त (अपील) द्वारा किये गये मूल आदेश के विरूद्व अपील न्यायधिकरण में दायर की जा सकती है।
(5) वर्गीकरण और मूल्यांकन सम्बन्धित मामलों में अपीलीय न्यायधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है।
(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण, उत्पादक के पैन संख्या पर आधारित है।
(7) उत्पादक द्वारा वस्तु की निकासी के तीन महीने बाद उत्पाद शुल्क दिया जा सकता है।
(8) उत्पादक को यह छूट है कि वह चाहे जब नियत कालीन विवरणी (पीरिआडिकल रिटर्न) प्रस्तुत कर सकता है।
(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील), न्याय निर्णय अधिकारी नही है।
(10) न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस में दर्शायी गयी उत्पाद शुल्क राशि से ज्यादा शुल्क नही निर्धारित की जा सकेगी। (10x1)

Q.8. **(a)** Please indicate whether the following statements are **True** or **False**.

1. The normal period for issue of Show Cause Notice is 6 Months from the relevant date.
2. Assistant Commissioner can issue Show Cause Notice for demand of duty up to Rupees 15 Lacs.
3. Additional Commissioner can review the Order-In-Original passed by the Assistant Commissioner**.**
4. In the case of Rebate of duty, an appeal against the order of the Commissioner (Appeals) lies before the CESTAT.
5. In the case of Classification and valuation, an appeal against the CESTAT's order can be directly filed before the Supreme Court.
6. Excise registration is based on PAN No. of the manufacturer.
7. Duty can be paid by the manufacturer after 3 months from the date of removal of Excisable goods.
8. Manufacturer is at liberty to file periodical return any time.
9. Commissioner of Central Excise (Appeal) is not Adjudicating Authority.
10. The amount determined by the Adjudicating Authority as payable shall not exceed the amount specified in the Show Cause Notice. (10x1)

प्रश्न 8. **(ब)** निम्नलिखित में से किसी पॉच के उद्देश्य और तत्सम्बन्धी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम का उल्लेख करें।

(i) फार्म आर सी
(ii) पी0एल0ए0
(iii) ए0आर0ई0–1
(iv) सी0टी0–3
(v) ई0आर0–1
(vi) ई0आर0–2
(vii) बी0–1
(viii) फार्म–आर
(ix) टी0आर0–6
(x) जी0ए0आर0–7

(2x5)

Q.8. **(b)** Please state the purpose and the corresponding Central Excise Rule in respect of any five of the following short title of the Annexure to the CBEC Excise manual of Supplementary instructions.

(i) Form-RC
(ii) PLA
(iii) ARE-I
(iv) CT-3
(v) ER-I
(vi) ER-2
(vii) B-I
(viii) Form-R
(ix) TR-6
(x) GAR-7

(2x5)

प्रश्न 9. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985:

1. कृपया वह तिथि बताये जब से 8 संख्या वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम लागू हुआ और तत्सम्बन्धी अधिसूचना का भी विवरण दें।
2. उत्पादकों के लिये वह अधिसूचना लिखें जिसके द्वारा लघु स्तर उत्पादकों को शुल्क से छूट प्रदान की गयी है।
3. उस अधिसूचना का विवरण दे जिसके द्वारा उल्लिखित वस्तुओं की कारखाने में जाब वर्क पर उत्पादन करने के बाद अपने उत्पादन में प्रयुक्त हो सकता है या कच्चा माल/अधिनिर्मित वस्तुओं को भेजने वाले द्वारा निकासी की जा सकती है।
4. कृपया अधिसूचना संख्या एवं तिथि का उल्लेख करें जिसके द्वारा विनिर्माता के कारखाने में बने इनपुट और कैपिटल वस्तुओं को छूट प्रदान की गयी है यदि ये वस्तुये इसी कारखाने में प्रयुक्त होती है।

Q.9. Central Excise Tariff Act-1985.

1. State the date from which new 8 digit Central Excise Tariff came into effect. Indicate the notification no. with date.

2. Indicate the Notification No. and date which permits Small Scale Exemption to the manufacturer.

3. Indicate the Notification No. and date which permits exemption to specified items if manufactured in a factory as a **job work** and used in the manufacture of final products or cleared as such from the factory of supplier of raw materials or semi-finished goods.

4. Indicate the Notification No. and date which permits exemption to all capital goods and specified inputs if captively consumed within the factory of production.

प्रश्न 10. कृपया निम्नलिखित अनुदेश/परिपत्र/अधिसूचना में से किन्हीं पॉच के प्रावधान और औचित्य का विवरण दें।

i. अधिसूचना सं० 214/86/सी०ई० दिनांक 25.03.1986
ii. अधिसूचना सं० 67/95/सी०ई० दिनांक 16.03.1995
iii. अधिसूचना सं० 8/2003/सी०ई० दिनांक 01.03.2003
iv. अधिसूचना सं० 50/2003/सी०ई० दिनांक 10.06.2003
v. अधिसूचना सं० 3/2011/सी०ई० (एन०टी०) दिनांक 01.03.2011
vi. परिपत्र सं० 967/01/2013 – सी०एक्स० दिनांक 01.01.2013
vii. परिपत्र सं० 572/09/2001 – सी०एक्स० दिनांक 22.02.2001
viii. परिपत्र सं० 958/01/2012 – सी०एक्स० दिनांक 13.01.2012
ix. परिपत्र सं० 904/24/2009 – सी०एक्स० दिनांक 28.10.2009
x. परिपत्र सं० 869/07/2008 – सी०एक्स० दिनांक 16.05.2008

Q.10. Briefly discuss provisions and relevance of any five of the following circulars/instructions/Notifications issued by the Board.

i. Notification No.214/86-CE dated 25.03.1986
ii. Notification No.67/95-CE dated 16.03.1995
iii. Notification No.8/2003-CE dated 01.03.2003
iv. Notification No.50/2003-CE dated 10.06.2003
v. Notification No.3/2011-CE (N.T.) dated 01.03.2011
vi. Circular No. 967/01/2013-CX dated 01-01-2013
vii. Circular No. 572/9/2001-CX dated 22.02.2001
viii. Circular No. 958/1/2012-CX dated 13.01.2012
ix. Circular No. 904/24/2009-CX dated 28.10.2009
x. Circular No. 869/07/2008-CX dated 16.05.2008

****